भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1936

17 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुना करने का वादा

1936. श्री जावेद अली खान:

श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र में कुछ किसानों को 5 क्विंटल से अधिक प्याज के लिए केवल 2 रूपये मिल पाये थे; और

(घ) यदि हां, तो प्याज की खेती करने वाले किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय कम होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास के लिए समुचित उपाय करती हैं। तथापि, भारत सरकार यथोचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के प्रयासों के बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस संबंध में, सरकार ने "किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई)" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करने की दृष्टि से अप्रैल, 2016 में अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। इस समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने की कार्यनीति शामिल थी। इस कार्यनीति के अनुसार, सरकार ने किसानों के लिए उच्चतर आय प्राप्त करने के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों, नीतियों को अपनाया और कार्यान्वित किया है। इनमें शामिल हैं:

1. बजट आबंटन में अभूतपूर्व वृद्धि

वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय (डेयर सहित) और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का बजट आवंटन केवल 30223.88 करोड़ रुपये था। यह वर्ष 2023-24 में 4.35 गुना से अधिक बढ़कर 1,31,612.41 करोड़ रुपये हो गया है।

2. पीएम-किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता देना

वर्ष 2019 में पीएम-किसान का शुभारंभ 3 समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपए प्रदान करने वाली आय सहायता योजना। इसमें 11 करोड़ किसानों को अब तक 2.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक जारी किए जा चुके हैं।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

6 वर्ष-पीएमएफबीवाई वर्ष 2016 में आरंभ की गई थी जिसमें किसानों से उच्च प्रीमियम दर की वसूली की समस्याई तथा कैपिंग के कारण बीमित राशि में कमी की समस्याय का समाधान किया गया। इसके कार्यान्वयन के पिछले 6 वर्षों में 37.66 करोड़ किसानों के आवेदन पंजीकृत किए गए और 12.38 करोड़ (अनंतिम) आवेदक किसानों ने दावे प्राप्त किए। इस अवधि के दौरान लगभग 25,174 करोड़ रूपए किसानों द्वारा अपनी प्रीमियम के अंशदान के रूप में भुगतान किया गया था और जिसकी तुलना में उनको 1,30,185 (अनंतिम) करोड़ रूपए का दावे के रूप में भुगतान किया गया। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रूपए की तुलना में 517 रूपए दावे के रूप में उन्होंने प्राप्त किए।

4. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

i. वर्ष 2013-14 में यह 7.3 लाख करोड़ रूपए था जिसको वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 18.5 लाख करोड़ रूपए करने का लक्ष्य रखा है।

ii. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती संस्थागत ऋण 4 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इस लाभ का विस्तार कर अब पशुपालक एवं मत्स्य पालक किसानों को भी इसमें कवर कर दिया गया है ताकि वे अपनी अल्पकालिक कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता को पूरा कर सकें।

iii. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करने पर ध्यान देने के साथ रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 30.12.2022 तक, अभियान के हिस्से के रूप में 4,51,672 करोड़ रुपये की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 389.33 लाख नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

5. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करना -

i. सरकार ने सभी अधिसूचित खरीफ, रबी तथा अन्य -व्यावसायिक फसलों के लिए एमएसपी पर बढ़ोतरी की है जिसमें वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम 50 प्रतिशत तक लाभ निर्धारित किया गया है।

ii. धान की एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1310 रूपए प्रति क्विंटल थी जिसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 2040 रूपए प्रति क्विं टल कर दिया गया है।

iii. गेहूं की एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 प्रति क्विंटल थी जिसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 2125 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

6. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

i. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) 2015-16 में देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। 32,384 क्लस्टर बनाए गए हैं और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया और प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के किसानों ने नदी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक खेती की है।

ii. सरकार ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसान की आय में वृद्धि करना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित और स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) शुरू किया गया है। 379 किसान उत्पादक कंपनियां बनाई गई हैं जिनमें 1,89,039 किसान शामिल हैं और 1,72,966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

7. प्रति बूंद अधिक फसल

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 के में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से 72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है।

8. सूक्ष्म सिंचाई कोष

नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में इस कोष में निधियों की मात्रा को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये किया जाना है। इसके तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर करने वाली 4710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

9. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का संवर्धन

i. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28 तक 6865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई।
ii. दिनांक 30.11.2022 तक, नई एफपीओ योजना के तहत 4028 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।
iii. दिनांक 31.12.2022 तक 1,730 एफपीओ को 65.33 करोड़ रूपए का साम्या अनुदान जारी किया गया है।
iv. दिनांक 31.12.2022 तक, 583 एफपीओ को 101.78 करोड़ रूपए का ऋण गारंटी कवर जारी किया गया है।

10. वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)** शुरू किया गया है ताकि परागण के माध्यम से फसल उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि की जा सके। मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-2023 के दौरान अब तक एनबीएचएम के तहत वित्त पोषण हेतु लगभग 139.23 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करते हुए 114 परियोजनाएं अनुमोदित/स्वीकृत की गई हैं।

11. कृषि यंत्रीकरण

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों में कठोर श्रम को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 5490.82 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को राजसहायता आधार पर 13,88,314 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 18,824 कस्टम हायरिंग केंद्र, 403 हाई-टेक हब और 16,791 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्तमान वर्ष अर्थात 2022-23 के दौरान अब तक राजसहायता पर लगभग 75,391 मशीनों के वितरण, 3,468 सीएचसी, 64 हाईटेक हब और 2281 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 585.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना

पोषक तत्वों के ईष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं।

(i) चक्र-I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़

(ii) चक्र-।। (2017 से 2019) - 12.19 करोड़

(iii) मॉडल ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 23.71 लाख

(iv) वर्ष 2020-21 में- 11.52 लाख

13. राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना करना

(i) 22 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों की 1260 मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।

(ii) दिनांक 31.12.2022 तक, ई-नाम पोर्टल पर 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है।

(iii) दिनांक 31.12.2022 तक, ई-नाम प्लेटफॉर्म पर लगभग 2.42 लाख करोड़ रूपए के मूल्य वाली कुल 7.07 करोड़ मीट्रिक टन मात्रा व 20.88 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से व्यापार दर्ज किया गया है।

14. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम - एनएमईओ के शुभारंभ को 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा। यह मिशन उद्योग द्वारा सुनिश्चित खरीद से जुड़े किसानों को सरल मूल्य निर्धारण सूत्र के साथ ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) का व्यावहारिक मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है।

15. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

वर्ष 2020 में एआईएफ की स्थापना के बाद से, इस योजना ने 22,354 परियोजनाओं के लिए देश में 16,117 करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना को मंजूरी दी है। इस योजना की सहायता से विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का सृजन किया गया है और कुछ अवसंरचना पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। इन बुनियादी ढांचे में 8,752 गोदाम, 4,188 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 2,635 कस्टम हायरिंग केंद्र, 1,217 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 859 शीतागार परियोजनाएं, 163 परख इकाइयां और लगभग 4,257 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।

16. कृषि उपज लॉजिस्टिक्स में सुधार, किसान रेल की शुरूआत

रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से जल्द खराब होने वाली कृषि वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किसान रेल शुरू की गई है। पहली किसान रेल जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक 167 मार्गों पर 2359 किसान रेल सेवाएं संचालित की गई हैं।

17. एमआईडीएच - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और उत्पादन पूर्व, उत्पादन, फसल कटाई के बाद, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है।

18. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण

अब तक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान डीएएंडएफडब्ल्यू के नॉलेज पार्टनर और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटरों द्वारा 1102 स्टार्टअप का अंतिम रूप से चयन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्यांण विभाग द्वारा सहायता अनुदान सहायता के रूप में संबंधित ज्ञान साझेदारों (केपी) और आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर (आर-एबीआई) को इन स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए 66.83 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

19. कृषि और संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निर्यात वर्ष 2020-21 के 41.86 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है अर्थात 19.99% की वृद्धि हुई है।

इन योजनाओं के सकारात्मक कार्यान्वयन के लिए सरकार के प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय को दो गुना से अधिक बढ़ाया है।

(ग) और (घ): उपभोक्ता मामलों के विभाग ने केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) अर्थात एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से कम आवक के मौसम के दौरान कीमतों को स्थिर करने के लिए रबी-2023 प्याज की 2.50 लाख मीट्रिक टन खरीद करने का निर्णय लिया है।

खरीफ की फसल देर से आने और रबी की फसल जल्दी आने की उम्मीद के कारण हाल के सप्ताहों में महाराष्ट्र के नासिक बेल्ट की प्रमुख मंडियों में प्याज की कीमतें 10 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे गिर गई हैं। सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ को महाराष्ट्र के बाहर खपत केंद्रों में एक साथ निपटान के लिए इन बाजारों से प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है।

नेफेड ने 24 फरवरी, 2023 को और एनसीसीएफ ने 28 फरवरी, 2023 से अपनी खरीद शुरू की है। आज तक, दोनों सीएनए ने कुल मात्रा में 9382.54 एमटी (नेफेड -7082.54 एमटी, एनसीसीएफ -2300 एमटी) की खरीद की है।

******